न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 124/2023

1. अमनदीप पुत्र गुरजीत सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

वादीगण

वनाम

1. मुखत्यार सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीवंगा जिला हनुमानगढ।
2. गुरजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. अमरजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. बलविन्द्र सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. सिमरजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. राजपाल कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. कमलदीप कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. संदीप पुत्र गुरजीत सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. मनप्रीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीवंगा जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन एवं घोषणा**

**—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—**

1. श्री मारूफ पंवार — वादी
2. श्री महेन्द्र सैन — प्रतिवादी सं. 1 ता 9
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी सं. 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

**—:: निर्णय ::—** दिनांक :— 09/09/25

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र बाबत घोषणा, खाता विभाजन वाद पत्र वादी की ओर से निम्न प्रकार से है—यह कि वादी,प्रतिवादीगण का पंजीकृत

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रमाणित पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रवधानो के अनुसार वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में निवेदित है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण स. 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है, और हिन्दू विधि के अनुसार संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हैं, वाद पत्र की नोईयत को समझने के लिए वादी व प्रतिवादीगण स. 1 ता 9 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रतिवादी स. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल. जी. डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/ 287 (10) के किला न. 13, 18 ता 24 की 2.024 हैक. नहरी व चक 14 पी.बी.एन के खाता स. 108/121 के प.न. 24/302 (08) के सिस 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/.215, 2/2/.038, 3/1/.215, 3/2/.038, 8 ता 12, 13/1/.127, 19 ता 22 की 3.163 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से प्रतिवादी स. 1 के नाम से खरीद की गई थी।

यह कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा पूर्व घराघरू बंटवारा किया जा चुका है और घराघरू बंटवारा अनुसार वादी को चक 7 एल.जी.डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न, 21, 22, 23, 24 की 1.012 हैक, नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी के हक व हिस्से पर विपरीत असर पड रहा है, इस कारण वादी उक्त कृषि भूमि मे से प्रतिवादी स. 1 का नाम कलमजन कर स्वंय के पक्ष मे घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है, व खातेदार काश्तकार है।

यह कि दफा 3 वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि घरा घरू बंटवारा अर्सा पूर्व से किया जा चुका है, और घराघरू बटवारा अनुसार ही वादी, प्रतिवादीगण स. 1 ता 9 काश्त करते हुए चले आ रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज नही होने के कारण वादी को अपनी कृषि भूमि की फैसल बैचान करने में परेशानी का सामना करना पडता है। इस कारण वादी अपने घरा घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है घरा घरू बंटवारा निम्न प्रकार है

वादी को घरा घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल. जी. डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न. 21, 22, 23, 24 की 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

यह की वादी ने प्रतिवादीगण स. 1 ता 9 से वाद पत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि का खाता अलग करवाने एंव वादी के हक व हिस्सा के अनुसार घोषणा करवाने हेतू कहा तो वे कई दिन तक तो टाल मटौल करते रहे लेकिन आज से 03 रोज पूर्व वह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये । यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी स. 10 को भूमि का भूधारक है इसलिये उन्हे बतौर प्रतिवादी के रूप में संयोजित किये गये है, लेकिन प्रतिवादी स. 10 के खिलाफ कोई अनुतोष नही है, उन्हे इसलिये पक्षकार संयोजित किया गया है ताकि न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की पालना करवाई जा सके।

यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय ... उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाये कि

(क) कि घोषणा फरमाई जावे कि वादी वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा वाद पत्र की दफा 4 अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

(ख) कि वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि खाता विभाजन वादी वाद पत्र की दफा 5 अनुसार करवाने का अधिकारी है।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय दिलाया जाना उचित समझे दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रतिवादीगण स. 1 द्वितीय पक्ष के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल. जी. डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न. 13, 18 ता 24 की 2.024 हैक. नहरी व चक 14 पी.बी.एन के खाता स. 108/121 के प.न. 24/302 (08) के किला न. 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/.215, 2/2/.038, 3/1/.215, 3/2/.038, 8 ता 12, 13/1/.127, 19 ता 22 की 3.163 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है।

यह कि राजीनामा की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा पूर्व घराघरू बंटवारा किया जा चुका है और घराघरू बंटवारा अनुसार निम्न प्रकार से काबिज होकर कृषि भूमि पर काश्त करते हुए चले आ रहे है –

वादी अमनदीप सिहं को चक 7 एल.जी.डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न. 21, 22, 23, 24 की 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी स. 8 संदीप को चक 14 पी.बी.एन के खाता स. 108/121, प.न. 24/302 (8) के किला न. 2/1/108 पूर्वी तरफ, 2/2/019 (गैर म.) पूर्वी तरफ, 3/1/215, 3/2/038, 8, 9/.063 पूर्वी तरफ, 12, 13/1/.. 127, 19, 22 की 1.582 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी स. 9 मनप्रीत सिह को चक 14 पी.बी.एन के खाता स. 108/121, प.न. 24/302 (8) के किला न. 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/.107 पश्चिमी तरफ, 2/2/.019 पश्चिमी तरफ गैर मु., 9/.190 पश्चिमी तरफ.. 10, 11, 20, 21 की 1.581 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि प्राप्त हुई है व चक 7 एल.जी.डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न. 13, 18 ता 20 की 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

यह कि राजीनामा में वर्णितानुसार वादी/प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण/द्वितीय पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा वादी / प्रथम पक्ष व प्रतिवादी स. 8 व 9 द्वितीय पक्ष राजीनामा की दफा 2 के अनुसार मौका पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और इसी अनुसार कृषि भूमि खाता विभाजन व खातेदारी

घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है, तथा उपरोक्त राजीनामा अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिकी के अनुसार वादी व प्रतिवादी स. 8 व 9 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण स. 1 ता 7 को कोई उजर एतराज नही है, हम पूर्ण रूप से सहमत व रंजामंद है। अतः आज यह राजीनामा वादी/प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण / द्वितीय पक्ष ने बिना किसी दवाब व बहकाव तथा बिना किसी नशे पते के कर लिया है, राजीनामा अनुसार ही वाद पत्र डिकी फरमाया जावे।

इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की [illegible] 40–53, 38–39–40, आर.आर. डी., 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 एससीसी 807 व आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर. डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966, [illegible] 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी मे समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर के पत्रांक प. 51 राज/6/97/10 दिनांक 08.09.

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो किसी सहभागी के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारीक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रीयों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी मे आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 ;एच. सीडी.एन.जे. एससीपेज 2023 पेज 29, आर.आर.डी. 1998 पेज 644, आर.आर.डी. 1995 पेज 529 पेश किये।

राज पैरोकार ने इस आश्य का जबाव प्रस्तुत किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## –:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा दावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

1. **वादी अमनदीप सिह** को चक 7 एल.जी.डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न. 21, 22, 23, 24 की 1.012 हैक. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

2. **प्रतिवादी स. 8 संदीप** को चक 14 पी.बी.एन के खाता स. 108/121, प.न. 24/302 (8) के किला न. 2/1/.108 पूर्वी तरफ, 2/2/.019 (गैर म.) पूर्वी तरफ, 3/1/.215, 3/2/.038, 8, 9/.063 पूर्वी तरफ, 12, 13/1/.. 127, 19, 22 की 1.582 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

3. **प्रतिवादी स. 9 मनप्रीत सिह** को चक 14 पी.बी.एन के खाता स. 108/121, प.न. 24/302 (8) के किला न. 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/.107 पश्चिमी तरफ, 2/2/.019 पश्चिमी तरफ गैर मु., 9/.190 पश्चिमी तरफ, 10, 11, 20, 21 की 1.581 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि प्राप्त हुई है व चक 7 एल.जी.डब्ल्यू–बी के खाता स. 60/47, प.न. 30/287 (10) के किला न. 13, 18 ता 20 की 1.01 हैक. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/ बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 9/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:32 IST
Reason: SelfAttested